



छत्तीसगढ़ संवाद

(जनसम्पर्क विभाग की सहयोगी संस्था)

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर

जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़

फोन नं. 0771-2512580, 81

निविदा संशोधन सूचना

क्रमांक 1331/छ.ग.सं/प्रका./2022

नवा रायपुर अटल नगर दिनांक : 18/08/2022

छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य एवं राज्य से होकर गुजरने वाले सभी प्रकार की ट्रेनें यथा-पेसेंजर/मेमू ट्रेन, मेल/एक्सप्रेस ट्रेन आदि के रेलवे इंजन/बोगी के बाहरी वॉल में राज्य शासन की योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु दर निर्धारण एवं योग्य फर्मों के इम्पैनलमेंट हेतु आमंत्रित ऑनलाईन निविदा सूचना क्र. 1023 दिनांक 19.07.2022 के निविदा प्रपत्र जमा करने की तिथियों एवं नियम शर्तों में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

1. निविदा प्रपत्र जमा करने की तिथि निम्नानुसार है :-

निविदा में भाग लेने हेतु रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि	दिनांक	29/08/2022	समय 2:00 बजे अपराह्न तक
ऑनलाईन निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	दिनांक	29/08/2022	समय 3:00 बजे अपराह्न तक
निविदा खोलने की अंतिम तिथि	दिनांक	29/08/2022	समय 4:00 बजे सायं से

2. नियम शर्तों में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

क्र.	संशोधन पूर्व नियम शर्तें एवं कार्य	संशोधन पश्चात् नियम शर्तें एवं कार्य
1	निविदा के बिन्दु क्र. (3.3) में उल्लेखित नियम एवं शर्तें :- Financial Year 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 के सी.ए. से सत्यापित टर्नओवर प्रमाण-पत्र। तीन वर्षों का औसतन न्यूनतम टर्नओवर रु. 20 लाख होना अनिवार्य है।	Financial Year 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 के सी.ए. से सत्यापित टर्नओवर प्रमाण-पत्र। तीन वर्षों का औसतन न्यूनतम टर्नओवर रु. 10 लाख होना अनिवार्य है।
2	निविदा के बिन्दु क्र. (4) में उल्लेखित नियम एवं शर्तें :- फर्मों के पास छत्तीसगढ़ राज्य एवं राज्य से होकर गुजरने वाले किसी भी ट्रेन (पेसेंजर/मेमू ट्रेन, मेल/एक्सप्रेस ट्रेन आदि) इंजन/बोगी के दोनों साइड के बाहरी वॉल में ब्रांडिंग/विज्ञापन हेतु रेलवे के साथ अनुबंध निष्पादित होना अनिवार्य है। अनुबंध की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।	फर्मों के पास छत्तीसगढ़ राज्य एवं राज्य से होकर गुजरने वाले किसी भी ट्रेन (पेसेंजर/मेमू ट्रेन, मेल/एक्सप्रेस ट्रेन आदि) इंजन/बोगी के दोनों साइड के बाहरी वॉल में ब्रांडिंग/विज्ञापन हेतु रेलवे के साथ अनुबंध निष्पादित होना अनिवार्य है। अनुबंध की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। इम्पैनलमेंट अवधि के दौरान एजेंसी का रेलवे के साथ निष्पादित अनुबंध की अवधि समाप्त होने की स्थिति में एजेंसी को तब तक कार्य आबंटन नहीं किया जाएगा जब तक कि विज्ञापन हेतु अनुबंधित अवधि में नवीनीकरण एवं नवीन अनुबंध निष्पादित नहीं हो जाता।
3	निविदा के बिन्दु क्र. (5) में उल्लेखित नियम एवं शर्तें :- फर्म को किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय/निजी संस्था के ब्रांडिंग/विज्ञापन संबंधी अनुभव प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।	फर्म को किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय/निजी संस्था के ब्रांडिंग /विज्ञापन संबंधी अनुभव प्रमाण-पत्र/कार्यादेश की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
4	निविदा के बिन्दु क्र. (11) में उल्लेखित नियम एवं शर्तें :- रेलवे इंजन/बोगी के दोनों साइड के बाहरी वॉल में ब्रांडिंग/प्रचार-प्रसार सामग्री मुद्रण एवं पेस्टिंग हेतु छत्तीसगढ़ संवाद में अनुमोदित दर @रु. 16/- प्रति वर्गफुट (जीएसटी अतिरिक्त) पृथक से भुगतान किया जायेगा।	रेलवे इंजन/बोगी के दोनों साइड के बाहरी वॉल में ब्रांडिंग/प्रचार-प्रसार सामग्री मुद्रण एवं पेस्टिंग हेतु फाईनेन्शियल बिड में पृथक से प्रति वर्ग फीट दर आमंत्रित की गई है।
5	निविदा के वित्तीय प्रस्ताव के टीप में उल्लेखित:- ब्रांडिंग/प्रचार-प्रसार सामग्री मुद्रण एवं पेस्टिंग हेतु छत्तीसगढ़ संवाद में अनुमोदित दर @रु. 16/- प्रति वर्गफुट (जीएसटी अतिरिक्त) पृथक से देय था।	वित्तीय प्रस्ताव में स्पेस चार्जस के अतिरिक्त पृथक से ब्रांडिंग/प्रचार-प्रसार सामग्री मुद्रण एवं पेस्टिंग चार्जस हेतु प्रति वर्ग फीट दर आमंत्रित है। (ट्रेन में ब्रांडिंग /प्रचार-प्रसार हेतु इंजन एवं बाहरी वॉल पर विज्ञापन हेतु NGT एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रतिबंधित सामग्रियां न हो एवं जो भारतीय रेलवे द्वारा मान्य हो इस प्रकार का सामग्री देवें एवं उसका पेस्टिंग सहित दर)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

छत्तीसगढ़ संवाद

रायपुर(छ. ग.)

छत्तीसगढ़ राज्य एवं राज्य से होकर गुजरने वाले रेलवे इंजिन/बोगी के बाहरी वॉल में राज्य शासन की योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु निविदा की नियम एवं शर्तें

1. छत्तीसगढ़ संवाद फर्म एवं सोसायटी अधिनियम 1973 के अंतर्गत एक पंजीकृत सोसायटी है। छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा शासन के विभिन्न विभागों, निगम-मण्डलों एवं अर्द्धशासकीय संस्थाओं की जनकल्याणकारी नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं एवं अन्य जानकारीयों, उपलब्धियों के विभिन्न माध्यमों से प्रचार-प्रसार का कार्य किया जाता है।

2. उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र :-

शासन की विभिन्न विभागों, निगम, मण्डलों एवं अर्द्धशासकीय संस्थाओं हेतु जनकल्याणकारी योजनाओं का छत्तीसगढ़ राज्य एवं राज्य से होकर गुजरने वाले सभी प्रकार की ट्रेनें यथा- पेसेंजर/मेमू ट्रेन, मेल/एक्सप्रेस ट्रेन आदि रेलवे इंजिन/बोगी के दोनों साइड के बाहरी वॉल में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना है।

3. इम्पैनलमेंट हेतु नियम एवं शर्तें:-

निविदाकर्ता फर्मों को टेक्निकल बिड में निम्नलिखित दस्तावेज ऑनलाईन जमा किया जाना है :-

- (1) पैन कार्ड की प्रति।
- (2) Assessment Year 2020-21 एवं 2021-22 का आयकर रिटर्न की प्रति।
- (3) Financial Year 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 के सी.ए. से सत्यापित टर्नओवर प्रमाण-पत्र। तीन वर्षों का औसतन न्यूनतम टर्नओवर रु. 10 लाख होना अनिवार्य है।
- (4) निविदा प्रपत्र शुल्क रु. 1,180/- जीएसटी सहित (वापसी योग्य नहीं) एवं अमानत राशि रु. 25,000/- (बिना ब्याज के वापसी योग्य) छत्तीसगढ़ संवाद के बैंक खाता में ऑनलाईन/ आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से जमा करना होगा एवं पावती/साक्ष्य की प्रति टेक्निकल बिड के साथ जमा करना होगा।

छत्तीसगढ़ संवाद के बैंक खाता का विवरण निम्नानुसार है :-

Account Name : Chhattisgarh Samvad
Bank Name : Axis Bank Ltd.
Branch Name : Pandri, Raipur (C.G.)
Saving Account No. : 139010100021669
IFSC Code No. : UTIB0000139

4. फर्मों के पास छत्तीसगढ़ राज्य एवं राज्य से होकर गुजरने वाले किसी भी ट्रेन (पेसेंजर/मेमू ट्रेन, मेल/एक्सप्रेस ट्रेन आदि) इंजिन/बोगी के दोनों साइड के बाहरी वॉल में ब्रांडिंग/विज्ञापन हेतु रेलवे के साथ अनुबंध निष्पादित होना अनिवार्य है। अनुबंध की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। इम्पैनलमेंट अवधि के दौरान एजेंसी का रेलवे के साथ निष्पादित अनुबंध की अवधि समाप्त होने की स्थिति में एजेंसी को तब तक कार्य आबंटन नहीं किया जाएगा जब तक कि विज्ञापन हेतु अनुबंधित अवधि में नवीनीकरण एवं नवीन अनुबंध निष्पादित नहीं हो जाता।
5. फर्म को किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय/निजी संस्था के ब्रांडिंग/विज्ञापन संबंधी अनुभव प्रमाण-पत्र/कार्यादेश की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
6. छ.ग. शासन के किसी भी उपक्रम निगम, मंडल, विश्व विद्यालय स्ववित्तपोषी संस्था द्वारा काली सुची में डाले गये फर्म निविदा में भाग नहीं ले सकते। इस सम्बन्ध में फर्म को निर्धारित प्रारूप में राशि रु. 50/- के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ-पत्र

प्रस्तुत करना होगा कि फर्म को कहीं भी काली सूची में नहीं डाला गया है। शपथ-पत्र की प्रति (हार्ड कापी) निविदा जमा करने के नियत तिथि एवं समय के पूर्व अपरान्ह 3:00 बजे तक छत्तीसगढ़ संवाद, सेक्टर-19 नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर अटल नगर भवन के द्वितीय तल, कक्ष क्रमांक SF-10 में जमा किया जा सकता है।

7. छत्तीसगढ़ संवाद की वेबसाइट <http://samvad.cg.nic.in> में निविदा के टेक्नीकल बिड में वांछित दस्तावेज एवं फाईनेन्शियल बिड ऑनलाईन जमा किया जाना है।
8. निविदाकार द्वारा सभी प्रकार के रेलवे इंजिन/बोगी में ब्रांडिंग/विज्ञापन हेतु NGT (National Green Tribunal) एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कोई भी प्रतिबंधित मटेरियल नहीं उपयोग किया जाना है। यदि एजेन्सी/फर्म इस प्रकार के कोई भी शासन द्वारा प्रतिबंधित मटेरियल उपयोग किये जाने पर छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा तत्कालिक प्रभाव से निविदा अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।
9. निविदा आमंत्रण का उद्देश्य दर निर्धारण एवं पैनल तैयार करने के लिए है।
10. दरें आमंत्रित करने के पश्चात् न्यूनतम दर पर टेक्निकल बिड में योग्य पाए गए एवं निविदा के न्यूनतम दर पर सहमत फर्मों का इम्पैनलमेंट किया जाएगा।
11. रेलवे इंजिन/बोगी के दोनों साइड के बाहरी वॉल में ब्रांडिंग/प्रचार-प्रसार सामग्री मुद्रण एवं पेस्टिंग हेतु फाईनेन्शियल बिड में पृथक से प्रति वर्ग फीट दर आमंत्रित की गई है।
12. समय सीमा व वांछित गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर संवाद गठित समिति या संवाद/विभाग के अधिकारी/कर्मचारी से परीक्षण कराया जायेगा। कार्य वांछित गुणवत्ता के अनुरूप नहीं होने कमी का आंकलन कर उसके अनुरूप देयक से राशि कटौती कर भुगतान किया जावेगा। गुणवत्ता या कार्य में गंभीर खामियां हाने पर देयक का भुगतान नहीं किया जायेगा एवं L1 एजेंसी द्वारा कार्य नहीं करने पर सुरक्षा निधि राजसात की जा सकेगी ओर संबंधित एजेन्सी को आगामी एक वर्ष के लिए काली सूची में डाला जाएगा।
13. कार्य पूरा करने के पश्चात् संबंधित विभाग से कार्य संपादन संबंधी प्रमाण-पत्र एवं फर्म द्वारा सत्यापित फोटोग्राफ्स की दो-दो प्रतियों के साथ देयक प्रस्तुत करना होगा।
14. छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा निर्धारित दरें निविदा अनुमोदन तिथि से आगामी दो वर्षों के लिए मान्य होगी इसके पश्चात् अवधि में कमी अथवा वृद्धि करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद के पास सुरक्षित होगा।
15. निविदा में अंकित दरें एवं शर्तों को स्वीकृत, अस्वीकृत अथवा शिथिल करने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद के पास सुरक्षित रहेगा।
16. एजेन्सी द्वारा निविदा प्रस्तुत करने का आशय यह होगा कि निविदाकार को उपरोक्त सभी नियम एवं शर्तें मान्य है।
17. **आर्बिट्रेशन (मध्यस्थता) :-** किसी प्रकार के विवाद उत्पन्न होने एवं 30 दिवस के अंदर समाधान न होने की स्थिति में निर्णय हेतु मामला एकल आर्बिट्रेटर- प्रमुख सचिव/सचिव, जनसंपर्क विभाग को अग्रेषित किया जायेगा एवं उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा। आर्बिट्रेशन की कार्यवाही आर्बिट्रेशन एवं काउंसिलेशन एक्ट, 1996 के अधीन संपादित होगा।
18. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्यायालयीन क्षेत्र रायपुर होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ संवाद
नवा रायपुर अटल नगर



छत्तीसगढ़ संवाद

(जनसंपर्क संचालनालय की सहयोगी संस्था)

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

वेबसाइट- <http://samvad.cg.nic.in/> फोन नं. 0771-2512580

छत्तीसगढ़ राज्य एवं राज्य से होकर गुजरने वाले सभी प्रकार के ट्रेनें यथा—
पेसेंजर/मेमू ट्रेन, मेल/एक्सप्रेस ट्रेन आदि रेलवे इंजिन/बोगी के बाहरी वॉल
में राज्य शासन की योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु
वित्तीय दरें (फाईनेन्शियल बिड)

क्र.	माध्यम	स्पेस चार्ज्स दर प्रति वर्गफीट प्रतिमाह (राशि रुपये में)
1	छत्तीसगढ़ राज्य एवं राज्य से होकर गुजरने वाले सभी प्रकार की ट्रेनें यथा— पेसेंजर/मेमू ट्रेन, मेल/एक्सप्रेस ट्रेन आदि रेलवे इंजिन/बोगी के दोनों साइड के बाहरी वॉल में व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु स्पेस चार्ज्स	
2	ब्रांडिंग/प्रचार-प्रसार सामग्री मुद्रण एवं पेस्टिंग चार्ज्स (ट्रेन में ब्रांडिंग/प्रचार-प्रसार हेतु इंजिन एवं बाहरी वॉल पर विज्ञापन हेतु NGT एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रतिबंधित सामग्रियां न हो एवं जो भारतीय रेलवे द्वारा मान्य हो इस प्रकार का सामग्री देवें एवं उसका पेस्टिंग सहित दर)	दर प्रति वर्ग फीट

टीप : जीएसटी अतिरिक्त देय होगा। इसके अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का चार्ज नहीं किया जाएगा।

स्थान _____

दिनांक _____

(निविदाकार के हस्ताक्षर)

नाम व पूर्ण पता

सील मुद्रा